### हरियाणा पुलिस भर्ती नियम संशोधन मामला : मंत्रिमंडल से मिली संशोधित नियमों को मंजूरी, एचएसएससी की राय जुदा

# हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में लिखित परीक्षा होगी

## अगले सप्ताह संशोधित नियम अधिसूचित होने की उम्मीद, उसके बाद डीजीपी भेजेंगे भर्ती का आग्रह पत्र

**● सीईटी पास उम्मीदवारों की मांग : सभी को मौका मिले, उम्र में छूट मिले**

डॉ. सुरेंद्र भीमान / सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 18 नवंबर : हरियाणा पुलिस भर्ती नियम संशोधन मामले में मंत्रिमंडल ने गृह विभाग की तरफ से भेजे संशोधित नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की सामूहिक बैठक बुलाने के बजाए सर्कुलेशन से मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। बाद में सर्कुलेशन से इसे मंत्रियों के पास भेजा गया। मंत्रियों की मंजूरी मिल गई है। अब इन संशोधित नियमों को अधिसूचित करने से पहले विधि परामर्शी (एलआर) के पास भेजा गया है। एलआर से वैट होने के बाद ये संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये संशोधित नियम अगले सप्ताह अधिसूचित हो जाएंगे।

दैनिक सवेरा एक्सक्लूसिव

हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन नियमों में भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा पीएमटी और पीएसटी के बीच आयोजित करवाना चाहता था मगर पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद का मत था कि सीईटी के कारण लिखित परीक्षा में चूंकि चार गुना उम्मीदवार बुलाए जाने हैं इसलिए लिखित परीक्षा सबसे आखिर में रखी जाए। पीएसटी और पीएमटी लिखित परीक्षा से पहले हो जाएं ताकि जितने पद विज्ञापित हों, उन सभी पर एक साथ चयन हो जाए। अगर लिखित परीक्षा बीच में आयोजित कर ली और आखिर में पीएसटी हो तो यह संभावना है कि न्यूनतम अंक लेने वाले उम्मीदवारों में से पीएसटी के बाद पदों की संख्या के बराबर उम्मीदवार न मिल पाएं। ऐसी स्थिति में दोबारा लिखित परीक्षा लेना संभव नहीं होगा। इसलिए सोच-विचारकर एचएसएससी का अलग मत होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न पुराने वाला ही रखा।

**उम्र में छूट मिले, सभी सीईटी उम्मीदवारों को मौका मिले : उम्मीदवार**

सीईटी पास उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास संदेश भेजकर आग्रह किया है कि जो उम्मीदवार सीईटी पास हैं, उन सभी को पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा का मौका दिया जाए। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने उम्र में भी छूट देने का आग्रह किया है। इन उम्मीदवारों ने आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी आग्रह किया है। मगर इनकी दोनों मांगों पर कोई गौर होने की संभावना नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि अगर उम्र में छूट दी गई तो यह कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। चूंकि सीईटी में चार गुना का प्रावधान है इसलिए सभी सीईटी पास को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल सकेगा।

### पुलिस पुरुष सिपाही के 5000, महिला सिपाही के 1000 पदों पर होनी है भर्ती

हालांकि पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने लगभग एक साल पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास सूचना भेजी थी कि पुलिस पुरुष और महिला सिपाही पदों पर भर्ती होनी है। मगर विधिवत आग्रह पत्र अभी तक नहीं भेजा है। यह आग्रह पत्र संशोधित नियम अधिसूचित होने के बाद भेजा जाएगा। संशोधित नियमों के मुताबिक सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए 10 जमा 2 शैक्षणिक योग्यता होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन योग्यता होगी। भर्ती के लिए सीईटी पास होना जरूरी है। सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में तीन फीसदी पद खेल नीति (जो भर्ती के समय लागू होगी) अनुसार स्पोर्ट्स पर्सन से भरे जाएंगे। गौरतलब है कि पुलिस पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती होनी है। फिलहाल सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती नहीं होनी है। इस भर्ती के लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन के योग्य हैं।

### एचएसएससी इस तरह चाहता है भर्ती प्रक्रिया

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) हो। यानी सीईटी पास आवेदकों में से आयोग उम्मीदवारों की हाइट और छाती माप सबसे पहले ले। इनमें से जो उम्मीदवार मानदंड पूरे कर लें, उनमें से सीईटी स्कोर और कैटेगरी अनुसार पदों का चार गुना उम्मीदवार नोलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) के लिए छांट लें। नोलेज टेस्ट में जो न्यूनतम अंक प्राप्त कर लें, उन सभी का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) ले लिया जाए। जो पीएसटी में पास हो जाएं। फिर दस्तावेज जांच के लिए बुला लिए जाएं। इसके बाद सभी उम्मीदवारों के पीएमटी, नोलेज टेस्ट, पीएसटी, एनसीसी और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर मेरिट अनुसार चयन सूची जारी कर ली जाए। एचएसएससी की इस प्रक्रिया अनुसार पीएसटी सिर्फ नोलेज टेस्ट पास करने वालों का ही होगा। मगर सरकार ने सबसे पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नोलेज टेस्ट रखा है। जैसे ही आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी को संशोधित नियमों की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बात की। मुख्य प्रधान सचिव ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद से बात की। गृह सचिव ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से बात की। डीजीपी ने चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से बात की। इसके बावजूद पुलिस विभाग और गृह विभाग का मानना है कि पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नोलेज टेस्ट हो। अगले सप्ताह एक बार चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के साथ डीजीपी और गृह सचिव की चर्चा हो सकती है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का पक्ष माना गया तो मंत्रिमंडल से फिर इन नियमों को संशोधित कराना पड़ेगा। अगर आयोग के चेयरमैन सरकार और पुलिस विभाग के प्रस्ताव से सहमत हो गए तो ये संशोधित अधिनियम तुरंत अधिसूचित हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

## अब इस तरह चलेगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया

संशोधित नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) होगा। उसके बाद नोलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) होगा। पीएसटी, पीएमटी, नोलेज टेस्ट, एनसीसी और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक इस तरह मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया का पड़ाव यूं चलेगा :

**1. पीएसटी 2 फीसदी वेटेज :** आवेदन के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) होगा। उम्मीदवारों को सीईटी अधिसूचना 05.05.2022 या समय-समय पर किए गए संशोधन अनुसार बुलाया जाएगा। उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे, उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2 फीसदी तक मिलेगी, जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई उम्मीदवार 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करता है तो एक अंक मिलेगा और अगर 11 मिनट से कम समय में पूरी करता है तो 2 अंक मिलेंगे। महिला एक किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से कम समय में पूरी करती है तो एक अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करती है तो 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन एक किलोमीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करेंगे। अगर 4 मिनट 40 मिनट तक पूरी की तो एक अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरी की तो 2 अंक मिलेंगे।

**2. पीएमटी 2.5 फीसदी वेटेज :** जो पीएसटी क्वालीफाई करेंगे, उन्हें अगली प्रक्रिया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) में भाग लेने दिया जाएगा। इसकी 2.5 फीसदी वेटेज होगी। इसमें हाइट और छाती का माप शामिल है। हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी के लिए (मोरनी खंड के जनरल कैटेगरी समेत) 168 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हाइट 175 सेंटीमीटर से 182 सेंटीमीटर तक होगी तो एक अतिरिक्त अंक मिलेगा जबकि 182 से ज्यादा होगी तो 2.5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। छाती 83 सेंटीमीटर और कम से कम चार सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी (मोरनी खंड के जनरल कैटेगरी समेत) 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर महिला उम्मीदवार की हाइट 162 से 167 सेंटीमीटर तक हुई तो एक अंक मिलेगा। अगर हाइट 167 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई तो 2.5 अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए यहीं से बाहर हो जाएंगे।

**3. लिखित परीक्षा 90 फीसदी वेटेज :** नोलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) में वही भाग ले सकेंगे, जो पीएमटी में क्वालीफाई होंगे। इसमें 90 सवाल होंगे। नोलेज टेस्ट आब्जेक्टिव टाइप (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का होगा जिसमें 90 सवाल होंगे और समय 90 मिनट का होगा। यह ओएमआर आधारित आंसर शीट पर होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 0.25 (एक चौथाई) अंक कटेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश में होगा। इस नोलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) में जनरल स्टडीज (सामान्य अध्ययन), जनरल साइंस (सामान्य विज्ञान), करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग (सामान्य तर्क), मेंटल एप्टीट्यूड (मानसिक योग्यता), न्यूमेरिकल एबिलिटी (संख्यात्मक क्षमता), एग्रीकल्चर (कृषि), एनिमल हसबेंडरी (पशुपालन), अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों/व्यापार आदि के प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम दस (10) प्रश्न कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। सिपाही पद के लिए प्रश्नों का स्टैंडर्ड (मानक) स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा जबकि सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा।

**4. दस्तावेजों की जांच और एनसीसी की 3 फीसदी वेटेज :** जो उम्मीदवार नोलेज टेस्ट में पास होंगे, उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार वहीं से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के 01, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के 03 अंक मिलेंगे। इसके लिए अंक देने के लिए एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा।

**5. सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक :** सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 2.5 फीसदी वेटेज मिलेगी। अधिकतम 2.5 फीसदी अंक मिलेंगे। इसमें परिवार में सरकारी नौकरी न होने, विधवा, फादरलेस और अनुभव के बिंदु शामिल हैं।

6. रिजल्ट इस तरह तैयार होगा : दस्तावेज जांच के बाद अंतिम रिजल्ट के लिए पीएसटी में प्राप्त अंक, पीएमटी में प्राप्त अंक, नोलेज टेस्ट में प्राप्त अंक, एनसीसी में प्राप्त अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के प्राप्त अंकों को जोड़े जाएंगे। अंकों को जोड़कर कैटेगरी अनुसार मेरिट आधार पर चयन सूची जारी होगी।

## आईआरबी समेत स्पेशल भर्ती में ये संशोधित नियम लागू नहीं होंगे

सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो नियम संशोधित किए गए हैं, वे आईआरबी समेत स्पेशल भर्ती में लागू नहीं होंगे। इस स्पेशल भर्ती में एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत मृत पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को नियुक्ति देने, हरियाणा पुलिस की स्पेशलाइज्ड विंग मसन टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड एंड बगलर्स स्टाफ, माउंटेड पुलिस, डॉग स्क्वायड, साइबर सेल और विशेष योग्यता या अनुभव वाले अन्य विशेष विंग के पद शामिल हैं। ये स्पेशलाइज्ड विंग डीजीपी की सिफारिश पर राज्य सरकार समय-समय पर मंजूर करेगी।